उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डा. श्री भगवान

शोध सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था विश्व के इतिहास में एक प्राचीनतम् व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत अनगिनत व्यक्तियों का जीवन संचलित होता आया है। और इसी व्यवस्था के आदर्शों पर चलकर वे अपनी सभी शक्तियों का संतुलन प्राप्त करते रहे हैं। भारत के इस समाज का इतिहास लगभग पांच हजार वर्ष से अधिक प्राचीन है। मानवीय सभ्यता के जन्म के साथ ही मनुष्य में सुरक्षा भावना का उदय हुआ। इस उदद्ेश्य से उसने अपने आपकों समूहों में संगठित किया और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के जीवन , सम्पत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा की। पूर्व वैदिक काल के साहित्य में इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते है। किन्तु समय के साथ-साथ जैसे-जैसे आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन आया समाज की रचना जटिल होती गई और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास अलग होते गये, मनुष्य में सामूहिकता के स्थान पर वर्गीय और व्यक्तिगत स्वार्थ भावना का उदय हुआ। अब वह दूसरे आदमी को गुलाम बनाने को, उसे नष्ट करने को तैयार था। इस स्थिति में आदमी की आदमी से रक्षा जरूरी थी और उसके लिए जरूरी था सुरक्षा संगठन राज्य और पुलिस इस सुरक्षा संगठन की प्रारम्भिक ईकाई थे।1

मूल शब्द: पुलिस, उत्तर प्रदेश, चुनौतियां, समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Corresponding author

असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद.244001 email : sbyadav23@gmail.com

Mobile 9412594139

प्रस्तावना

प्रचीन रक्षा व्यवस्था का आधार गुप्तचर व्यवस्था होती थी। आज की तरह उस समय भी राज व्यवस्था को बाहरी शत्रुओं एवं उनके मित्रों की कूटनीति का सामना करना होता था। वैदिक साहित्य में वरूण देव को गुप्तचरों का स्वामी कहा गया है। जो अपने हजारों हजार किरणों से चारों ओर देखते है। यह वैदिक साहित्य उल्लेखित करता है कि गुप्तचर ''सर्वत्र गम्य'' अर्थात सब जगह पहुंचने वाले होते थे।2 गुप्तचर राज्य के हर स्तर पर सूचनाऐं एकत्र कर शासक तक पहुंचाते थे जिससे वह समयानुसार उचित निर्णय ले सके और कार्यवाही कर सके। मौर्यत्तर काल , राजपूत काल तुर्क एवं मुगल काल में गुप्तचरों का यह चक्र व्यूह

यथावत बना रहा। प्रसिद्व ग्रन्थ ''कामान्द कीयम' के अनुसार दूत एवं चर गुप्तचारों की दो श्रेणियां होती थी। मौर्य युगीन संस्था एवं संचार श्रेणी के गुप्तचरों का यह तत्कालीन स्वरूप था। वर्द्वन काल में वे क्रमशः संचारक एवं सर्वगत नाम से पुकारे जाने लगे। तुर्क शासन में ''वारिद-ए-मुमालिक'' एवं ''मुनहिस' नामक गुप्तचरों की दो श्रेणियां होती थी।3 मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक यह गुप्तचर व्यवस्था का संगनात्मक ढांचा जैसे का तैसा बना रहा । यह इतना प्रभावी था कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर बच नहीं सकता था। वर्तमान समय में भी गुप्तचर व्यवस्था दो भागों में बंटी हुई है जिसे सी0आई0डी0 एवं सी0बी0आई0 के नाम से जाना जाता है।4

आज देश के अन्दर पुलिस प्रशासन का एक व्यवस्थित व सुनियोजित संगठन है। प्रत्येक प्रदेश की तरह उ0 प्र0 में भी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है जिसके नेतृत्व में उ0प्र0 पुलिस गठित की गई है।5 विभाग को अनेक विभाग, सशस्त्र पुलिस, पुलिस लाइन, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र आदि में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान समय में इस पुलिस विभाग में निम्न शाखायें विद्यमान हैंः-

- नागरिक पुलिस
- सशस्त्र पुलिस
- घुड़सवार पुलिस
- पी0ए0सी0
- अपराध अनुसंधान विभाग- इसके अन्तर्गत निम्न शाखाये कार्यरत हैः-

क. अपराध शाखा

ख. भ्रष्टाचार निवारण संगठन

ग. आर्थिक अपराध संगठन

घ. राज्य विद्युत परिषद

ड़. महिला सहायता प्रकोष्ठ

च. विशेष जॉुच सेल

- अभिसूचना विभाग
- रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0)
- पुलिस प्रशिक्षण
- तकनीकी सेवायेंः-

क. पुलिस कम्प्यूटर

ख. विधि विज्ञान प्रयोगशाला

ग. पुलिस रेडियो आपरेटर

घ. राज्य मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र

ड़. राज्य अपराध सूचना ब्यूरो।

- यातायात निदेशालय
- होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
- रूल्स एवं मैनुअल शाखा

उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्याओं को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है:-

1. व्यवहारिक चुनौतियां

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि किसी भी सामज की बहुमुखी प्रगति शक्ति व्यवस्था के वातावरण द्वारा ही सम्भव है। यदि सरकार किसी उद्योगवादी क्षेत्रों में प्रगति चाहती है व उत्पादन के साधनों की वृद्वि चाहती है तो यह भी बहुत आवश्यक है कि कानून व व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो, अपराधों की रोकथाम हो। तभी उन्नतशील समाज व व्यवस्था उत्पन्न होगी।5 यदि कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब होगी तो विकास के कोई कार्य सम्भव नहीं है। राज्य सरकारे योजना बनाते समय तथा राज्य के धन का विभागों में वितरण करते समय विभागों को योजनाबद्व व गैर योजनाबद्व उन्हें बांटती है। अर्थात जिन विभागों द्वारा सरकार को आय अधिक होती है, उन पर सरकार खर्च अधिक करती है तथा जिन विभागों में आय कम होती है। उन पर सरकार के द्वारा कम खर्च किया जाता है। इस दृष्टि से पुलिस भी ऐसा विभाग है, जो सरकार को कोई आय प्रदान नहीं करता है। इसी कारण पुलिस विभाग के ऊपर सरकार समुचित ध्यान नहीं देती है, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।दूसरे राज्य कर्मचारियों की तुलना में पुलिस विभाग में कर्मचारियों को वेतन बहुत कम ही मिलता है। उनकी डयूटी बहुत कठिन दिन-रात की होती है। छुटिटयों की भी इतनी सुविधा नहीं है, जितनी अन्य विभाग के कर्मचारियों को होती है। इसलिये पुलिस कर्मचारी दिन रात तनाव व परेशानी में रहते है। अपराधों का अनुसंधान न्यायालय के आदेशों की पालना व शहादत में उपस्थित होने के कारण भी उसे पूरा करना ही है।7

ग्रामीण थानों में जोकि दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित हैं जीप या मोटर साइकिल जैसे जरूरी वाहनों का अभाव है। वाहनों के अभाव में पुलिस अधिकारियों की गश्त एवं चौकसी उनके अधिकारों में कम हो जाती है। इस स्थिति का लाभ अपराधी तत्व उठाते है। अपराधियों पर नज़र रखना भी सम्भव नहीं हो पाता है।8 जब पुलिस को उसके क्षेत्र में किसी भयंकर वारदात, लूट, डकैती या आगजनी की घटना की सूचना मिलती है तो एक तो सूचना देरी से उन तक पहुंच पाती है, दूसरे उनके पास साधन नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य व्यवस्था कर घटना स्थल तक पहुंच पाती है। तब तक अपराधी अपराध कर भाग चुका होता है ।9

2 शक्ति समूहों का प्रभाव

कानून और व्यवस्थाओं को जिन समस्याओं का सामना पुलिस को प्रतिदिन करना पड़ता है, वे आन्दोलन, प्रदर्शन,घेराव इत्यादि ऐसे लक्षण हैं, जो समाज की विसंगतियों और विकास की विषमताओं को

संकेत देते हैं। विभिन्न समूहों और समुदायों की विविध और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मंागों को देखते हुए समाज के कुछ प्रबुद्व व्यक्ति यह सोचने पर विवश हो जाते है कि यह भारतीय समाज के विघटन का प्रतीक है।10 क्षेत्रीय एवं जातीय तत्वों की दबावपूर्ण मांगो के साथ समझौता और समर्पण की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला जाने लगा है कि राष्ट्रीय एकता और अस्तित्व जैसी बातें गौण हो गयी हैं। देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई अनियन्त्रित हिंसा और असुरक्षा के कारण समाज के विभिन्न क्षेत्रों को लगभग पूर्ण रूप से अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा सेनाओं के जिम्मे सौंपना अनिवार्य होता जा रहा है।

3. कार्य की दशायें

भारत में पुलिस की व्यवस्था प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है, परन्तु भारतीय पुलिस संगठन के स्परूप की नींव ब्रिटिश काल के दौरान पड़ी। ब्रिटिश शासकों ने अपने मस्तिष्क में जिन विशिष्ट कार्यों , जिन्हें वे भारतीय पुलिस से करवाना चाहते थे , को ध्यान में रखते हुए पुलिस का गठन किया। समस्त राजनीतिक गतिविधियों का दमन जनता के मस्तिष्क पर पुलिस का भय और आतंक की छवि को स्पष्ट करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाये रखना पुलिस द्वारा व्यवस्थित रूप से जनता के उत्पीड़न किये जाने के बावजूद कानून और व्यवस्था में शान्तिकाल की स्थिति को व्यवस्थित अवस्था में बनाये रखना ब्रिटिश शासन का अचानक अन्त होने से भारत में पुलिस बल विरासत में प्राप्त हुए हैं।11 इनमें दमन , उत्पीड़न, नृशंसता, तृतीय डिग्री व्यवहार, स्वीकारोक्तियां , अनेक गवाहियां, झूठे गवाह, पुरानी कार्य संस्कृति के प्रमाणिक चिन्ह है। ये चिन्ह स्वतन्त्रता और प्रजातान्त्रिक स्वरूप के विरूद्व अस्वीकार्य है। सामान्य रूप से पुलिस के निम्न दो प्राथमिक कार्य हैंः-

क. अपराधी व कार्य विरोधी कार्यवाहियों की रोकथाम

ख. समाज विरोधी तत्वों की खोज निकालना और उन्हें गिरफ्तार करना।

(अ) कार्य का दबाबः- भारतीय पुलिस राजनीति की शिकार बन गई है। मूल्य विहीन राजनीति में पुलिस का कार्य बहुत कठिन हो गया है। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के स्वतंत्रोत्तर भारत में राजनैतिक हस्तक्षेप एक उल्लंघनीय तत्व हैं। प्रायः जिस दल की सत्ता होती है उस दल को लाभ पहुंचाना पुलिस बल की मजबूरी बन गई है। प्रत्येक मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही पुलिस महानिदेशक तथा जिला स्तर के पदाधिकारियों का भी स्थानान्तरण हो जाता है और ये सभी उच्चाधिकारी थाना स्तर क कर्मचारियों पर दबाब बनाकर अनैतिक कार्य करने को मजबूर करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थानों में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है और कार्य दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। जिस अनुपात से जनसंख्या में वृद्वि हो रही है उसी अनुपात में अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन इस अनुपात में पुलिस बल की भर्ती नहीं की जा रही है।

पुलिस पर कार्य का अत्याधिक दबाब रहता है। उच्चाधिकारी , राजनेता उनसे अपने अनुसार कार्य कराने को दबाब डालते रहते है। और परिणाम यह होता है कि पुलिस फिर निचले वर्ग की कोई सहायता नहीं कर पाती।

(ब) कार्य करने का समय

भारत के विशाल भू-क्षेत्र , आबादी, भौगोलिक,सांस्कृतिक , धार्मिक विभिन्नता को देखते हुए वर्तमान पुलिस बल अपर्याप्त दिखाई देता है। पुलिस बल की कमी, उसकी कार्यकुशलता तथा छवि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इस लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की अभिवृद्वि आवश्यक है। सामान्यतया प्रत्ेयक सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के कार्य दिवस की अवधि 8 घंटे होती है, और इसके अतिरिक्त काम करता भी है तो उसे अधिसमय का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। सामान्य सरकारी कर्मचारी को रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों का लाभ प्राप्त होता है, इसके विपरीत पुलिस की डयूटी 24 घंटे की होती है। इस 24 घंटे की डयूटी के कारण उसे अधिसमय का परिश्रमिक नहीं मिलता है। और न ही सरकारी अवकाशों का लाभ अन्य कर्मचारियों के समकक्ष मिलता है। कर्तव्य निर्वाह की इन कठिन दशाओं के फलस्वरूप पुलिसकर्मी की सेवा शर्ते भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती। सर्दी गर्मी ,बरसात प्रत्येक मौसम में अपराधियों को पकड़ना, पूंछतांछ करना, न्यायलय में अभियोगों को प्रस्तुत करना, अधिकारियों के द्वारा निदर्शित कार्यों का सम्पादन आदि उपरोक्त कथित कर्तव्य पूरे करने में 24 घण्टे सुबह से शाम तक किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहना, उस पर अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन, सीमित वेतन, आवश्यकता पड़ने पर अवकाश प्राप्त न होना आदि असुविधाओं के फलस्वरूप प्रायः पुलिसकर्मी/अपराधियों को तनावग्रस्त स्थिति में अपना कार्यकाल व्यतीत करना पड़ता है।

4 समाज का असहयोगी वातावरण

यह तो हमें ज्ञात ही है कि एक पुलिस का संगठन ब्रिटिश काल में हुआ था, जिनकी कूटनीतियां थी, पुलिस बल संगठन की इन नीतियों के अधीन यह भी शामिल था कि जनता में अपना भय पैदा करने हेतु आदेश की पालना में क्रूरतापूर्ण व्यवहार, जिसमें थर्ड मैटर भी शामिल था, जिसके कारण ब्रिटिश काल की पुलिस जनता में भय और उत्पीड़न पैदा करती थी और छोटे से ही अपराध में उनको मारपीट का दण्ड देती थी । जिसके कारण पुलिस की मानसिकता कमजोर होती गई व व्यभिचारी, दुर्व्यवहारी और आंतकी संगठन की भांति अपने आचरण में प्रविष्ट हो गई, जिसका कुप्रभाव पुलिस और जनता के बीच सम्बन्धों पर पड़ा और उसी तरह का कम से कम 50 प्रतिशत प्रभाव जनता और पुलिस के बीच आज भी पाया जाता है। जनता पुलिस को अपना रक्षक मानती है। व्यक्ति के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना पुलिस का कार्य होता है। स्वाधीनता के बाद आज की पुलिस भी जनता से अपने अच्छे सम्बन्ध नहीं बना सकी ळें पुलिस की छवि खराब होने के कारण आम आदमी थाने में प्रवेश करने से कतराता है। सूचना और सहयोग देने की बात

बहुत दूर की है, आज भी आम जनता पुलिस के कठोर रवैये , गाली-गलौच वाले व्यवहार और झूठे मुकदमों में फंसने से डरती है। आंखों के सामने हुए अपराध की सूचना तक पुलिस को नहीं देती पूछने पर कहते हैं ''कौन पचड़े में पड़ेगा''7 क्योंकि पुलिस बाद में तंग करती है।

5. उच्चाधिकारियों का दबाब

पुलिस अधिकारी जो व्यवहारकुशल नहीं है, वह जनता का व अपने साथियों का दिल नहीं जीत सकता। यदि मदद के लिये कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम सहानुभूति के दो शब्द भी उसके लिये नहीं कह सकते तो वह हमसे न्याय पाने की उम्मीद कैसे कर सकता है। पुलिस अधिकारी जनसेवक है,उसके पास आने वाला जनता का व्यक्ति चाहे वह कितना भी गरीब व फटे हाल व निम्न स्तर का है, उसका स्वामी है, इसी भावना से उसकी मदद के लिये आगे आना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी अच्छे व्यवहार से जनता में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना पाते, उन्हें जन सहयोग नहीं मिल पाता है और तो और अच्छे व्यवहार के बिना मातहत कर्मचारी के सदभाव को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो दूसरों का आदर नहीं करते, उन्हें आदर नहीं मिलता व जो दूसरों को प्रेम नहीं बांटते, उन्हें प्रेम नहीं मिलता। जिन्हें दूसरों का प्रेम व सहयोग नहीं मिलता, उनके सामने समस्याये आती हैं, तो किसी की उन्हें मदद भी नहीं मिलती है। पुलिस कार्य ऐसा सामूहिक कार्य है, जिसे कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। इसके लिये तो साथी कर्मचारियों व जनता के भरपूर सहयोग की आवश्यकता रहती है।12

6. पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की कमी

आज़ादी के बाद देश की जनसंख्या में तेजी से बुद्वि हुई है तथा जनसंख्या एकदम दुगनी हो गई है। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रगति आद्योगिक विकास व जीवन मूल्यों के परिवर्तन के कारण नित नई -नई समस्याऐं बढ़ रही हैं व अपराधों की संख्या एवं प्रवृत्ति में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उसकी तुलना में पुलिस के स्टाफ में जितनी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है।13 पुलिस थानों में बहुत सीमित संख्या में पुलिस स्टाफ तैनात है। बढ़ी हुई जनसंख्या व अपराधों में हुई वृद्वि की तुलना में ये संख्या बहुत ही कम तथा ऊपर से औद्योगिक विवादों के कारण पुलिस के कम स्टाफ के कारण बड़ी-बड़ी समस्याऐ खड़ी हो जाती है। अपराध अनियंत्रित हो जाते है तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जाती है इसके ऊपर आये दिन के चुनाव व महत्वपूर्ण नेताओं के आगमन पर भी पुलिस का कार्य बढ़ता जाता है।

7. कम वेतन

दूसरे राज्य कर्मचारियों की तुलना में पुलिस विभाग में कर्मचारियों को वेतन ही कम मिलता है तथा उनकी डयूटी बहुत ही कठिन यानी दिन रात की होती है। इस कम वेतन व असुविधा की परिस्थितियों के कारण पुलिस कर्मियों का स्वभाव रूखा हो जाता है। ऊपर से पुलिस कर्मचारियों को जितना सम्मान व सहयोग समाज द्वारा मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता। इसी कारण पुलिस कर्मचारी तनाव व परेशानी में रहते है। कम वेतन तथा ऊँची आकांक्षाऐं कई बार पुलिस वालों में विचलन की स्थिति पैदा कर देती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मानव आचरण को नियंत्रित करने के लिए एवं समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है पुलिस अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है। पुलिस को जुलूसों, समस्याओं एवं यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। किसी धर्म या धार्मिक स्थान के असम्मान को रोकना होता है। मनोरंजन के स्थानों तथा अनैतिक अडडों पर नियंत्रण रखना होता है। मादक द्रव्यों क्रय-विक्रय और तस्करी पर रोक लगानी होती है। व्यापार एवं उद्योग में बेईमानी तथा खाद्यानों के विक्रय में भ्रष्टाचार को राकना पड़ता है। सड़क रेल मार्गों, खेतों, जंगलों, खानों संचार साधनों, औद्योगिक संयंत्रों, नहरों तथा देश की उन्नति के अन्य साधनों की रक्षा करनी होती है। जन स्वास्थ्य के साधनों की देख-रेख करनी होती है। हिंसक पशुओं को नष्ट करना तथा पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकना पड़ता है। अग्निशमन का कार्य भी करना पड़ता है। बाढ़, भूकम्प और अन्य संकट के समय लोगों की सहायता करनी होती है। शासकीय मुद्रा तथा टिकटों की जाल साजी को रोकना तथा जासूसी एवं विध्वंसक कार्यवाहियों का प्रतिरोध करना होता है। संक्षेप में पुलिस को समाज की सुरक्षा तथा समाज कल्याण के लिए समाज या शासन द्वारा बनाये गये सभी विधानों एवं विधि नियमों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार पुलिस समाज तथा कानून की संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दास, आर0एन0 (1982)- क्राइम एण्ड पनिशमेंट इन एनसियंट इण्डिया, कंचन पब्लिकेशन गया, पृ078
2. क्राइम इन इण्डिया- नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, एम0एच0ए0 भारत सरकार नई दिल्ली-66
3. एस0के0 मलिक-'नेक्सस विटवीन क्राइम एण्ड पापुलेशन आफ इण्डिया 12 वें विश्व समाजशास्त्र सम्मेलन-1986, नई दिल्ली में प्रस्तुत आलेखपत्र
4. अरूण, राम (2004)- 'उ0प्र0 पुलिस मानीटर' (मासिक) प्रभात प्रेस आलमगिरी गंज बरेली, अंक 20, नवम्बर 2004, पृ0 13
5. अरूण, राम (2004)- 'उ0प्र0 पुलिस मानीटर' (मासिक) प्रभात प्रेस आलमगिरी गंज बरेली, अंक 20, नवम्बर 2004, पृ0 14
6. कटारिया, सुरेन्द (2003) 'पुलिस सेवाओं में 'अभिप्रेरण एवं मनोबल' पुलिस विज्ञान अंक-83,अप्रैल-जून 2003 पृ0 18
7. रिचर्ड सी0फुलर तथा रिचर्ड मीयर्स- 'सम आसपैक्टस आफ ए थ्योरी आफ सोशल प्रोब्लम्स'। मित्तल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 1990, पृ0 24

8. गुप्ता, राकेश -पुलिस कार्यों में विज्ञान और तकनीकी की उपयोगिता' पुलिस विज्ञान अंक - 67, अप्रैल-जून-1999, नई दिल्ली पृ018
9. मिश्रा, डी0पी0 (2003) Police Telecommunication Training Research , Project Undertaken, Indian Police Academy Heidrabad (AP) 2003, P-29
10. चांदना ,साहिब सिंह -(2004) ' डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग के रहस्यों की जानकारी' पुलिस विज्ञान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भारत सरकार नई दिल्ली, जनवरी-मार्च 2004, अंक-86, पृ0 25
11. सिंह, योगेन्द्र -मॉडर्नाइजेशन आफ इण्डियन टे्डीशन थामसन प्रेस, दिल्ली 1973, पृ0 186
12. चन्द्रमौली, वी0(1990)- (सम्पादक) रोल आफ वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन इन सोशल डेवलपमैंट, स्ट्रलिंग पब्लिशर्स 1990, पृ013
13. श्रीवास्तव, आर0एस0 -विकासशील समाज में सम -सामयिक पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरों भारत सरकार।